81

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ० क्रमांक सी-5/2/84/3/1   भोपाल, दिनांक 16 मई, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता ।

शासन के समस्त विभागों/कार्यालयों को यह ज्ञात है कि म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक -

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यकरूपेण पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा और न उसके प्रभाव में रहेगा,

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा,

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासत: अति उपयोग नहीं करेगा ।

शासन का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जहां उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन हुआ है । अत: उक्त उपबन्धों के अनुसरण में दुहराया जाता है कि -

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक मादक पेयों या औषधियों के सेवन संबंधी आचरण नियमों के उपबंधों का ईमानदारी से पालन करें,

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबंधों में शामिल मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों के आचरण पर कड़ी निगाह रखें, और

क्रमश: 2

(3) अनुशासनिक प्राधिकारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1965 के नियम 23 के किसी उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लें और उक्त नियम का उल्लंघन करने में दोषी पाए गए सरकारी सेवक पर कठोरतम दंड लगाने से न हिचकिचाएं ।

शासन के समस्त विभागों से निवेदन है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिये उनकी जानकारी अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को दें ।

(नन्हें सिंह)
विशेष सचिव
म0प्र0 शासन, सा0प्र0 विभाग

पृ0 एफ क्र0 सी-5/2/84/3/1 भोपाल, दिनांक 16 मई, 1984

प्रतिलिपि :-

1- निबंधक, उच्च-न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर,
लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल भोपाल ।

2- राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।

3- मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उपमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4- सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(के0एन0 श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एम0सिंह/16584/